डिस्कलेमर

आदेश संख्या 32/2022-23 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सैलेबी/डेल्ही/सीपी-III/2021-26
F. No. AERA/20010/ MYTP/CELEBI/C/DELHI/CP-III/2021-26

आदेश संख्या 32/2022-23
Order No. 32/2022-23

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

मैसर्स सैलेबी डेल्ही कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीसीटीएम) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में/

IN THE MATTER OF DETERMINATION OF TARIFF FOR CARGO HANDLING SERVICES FOR M/s CELEBI DELHI CARGO TERMINAL MANAGEMENT INDIA PVT. LTD. (CDCTM) AT INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT, DELHI FOR THE THIRD CONTROL PERIOD (FY 2021-22 TO FY 2025-26)

जारी करने की तारीख : 29 दिसम्बर, 2022
Date of Issue: 29 December, 2022

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

सीडीसीटीएम के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.9**	सीडीसीटीएम द्वारा आईजीआईए, दिल्ली में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं **'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी'** समझी जाती है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** अपनाता है।	**12**
अध्याय संख्या 3	**3.9**	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीडीसीटीएम द्वारा अनुमानित एएफएस की कार्गो मात्रा सहित कार्गो की मात्रा को मानने का निर्णय लेता है।	**19**
अध्याय संख्या 4.	**4.20.1**	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी के परिवर्धनों को मानने का निर्णय लेता है।	**36**
	4.20.2	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	
	4.20.3	प्राधिकरण तालिका 8 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।	
	4.20.4	प्राधिकरण तालिका 9 के अनुसार प्रतिभूति जमा पर प्रतिलाभ को मानने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5.	**5.10**	प्राधिकरण तालिका 15 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीडीसीटीएम द्वारा अनुमानित ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	43
अध्याय संख्या 6.	**6.11**	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (16.01.2023 से 31.03.2025) के लिए खराब होने योग्य/ औषधीय/विशेष/मूल्यमान/खतरनाक कार्गो सहित एएफएस कार्गो (निर्यात एवं आयात कार्गो) के लिए 30%न्यूनतर टीएसपी प्रभार मानने का निर्णय लेता है।	59
अध्याय संख्या 7.	**7.6.1**	प्राधिकरण तालिका 20 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानने का निर्णय लेता है।	65
	7.6.2	प्राधिकरण तालिका 22 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	
	7.6.3	प्राधिकरण टैरिफ में 16.01.2023 से 31.03.2025 तक प्रभावी 4% की एकबारगी वृद्धि को मानने का निर्णय लेता है।	
	7.6.4	प्राधिकरण संलग्नक II के अनुसार 16.01.2023 से 31.03.2025 तक टैरिफ दर कार्ड (एएफएस कार्गो के लिए लागू टीएसपी प्रभार सहित) को मानने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 8	**8.17**	प्राधिकरण तालिका 30 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व को मानने का निर्णय लेता है।	**84**

अध्याय **10 :** <u>आदेश</u>

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स सैलेबी डेल्ही कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली में प्रदान की जा रही कार्गो हैंडलिंग से संबंधित सेवाएं **"मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी"** समझी जाती है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) मैसर्स सैलेबी डेल्ही कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को **संलग्नक II** के अनुसार 16.01.2023 से 31.03.2025 तक प्रभावी तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।

(iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि वित्त वर्ष 2025-26 (टैरिफ वर्ष 5) के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव को अंतिम रूप सीडीसीटीएम द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के प्रथम चार टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) के अनुसार वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही दिया जाएगा।

(iv) निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें सभी लागू कर शामिल नहीं है।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री कामेश पेरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मैसर्स सैलेबी डेल्ही कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,
सीई-05, पहला तल, इंपोर्ट बिल्डिंग –**II**, अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110037

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. श्री के. नारायण राव, निदेशक, डायल, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल-3 के सामने, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली -110037